



प्रधानमंत्री आवास योजना एक वरदान (डूंगरपुर जिले के संदर्भ में)

अरविन्द कुमार डेण्डोर
शोधार्थी भूगोल विभाग,
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर.

प्रस्तावना :-

प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को भारत सरकार के द्वारा की गई इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्र बीपीएल, अन्त्योदय, आर्थिक रूप से कमजोर, अल्पसंख्यक वर्ग को पक्का आवास उपलब्ध करना है।

इस योजना को पहले इन्दिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, जिसमें आर्थिक सहायता 70000/- रुपये दी जाती थी।

वर्तमान में इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पक्का हेतु 130000/- अक्षरे एक लाख तीस हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 120000/- रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।



भूमिका :-

PMAY योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। जिसका लक्ष्य 2022 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों सभी वर्ग के लिये आवास उपलब्ध करवाना है। यह योजना जनजाति उपयोजना क्षेत्र में एक वरदान साबित हुई है। इस क्षेत्र में डूंगरपुर जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। जबकि भारत में दूसरे स्थान पर है। यह जिला 3370 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है।

यह जिला राजस्थान एवं गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित है। यहां पर अधिकांश भू-भाग पहाड़ी है। इन पहाड़ों के कारण ही डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर कुल जनसंख्या 80 प्रतिशत जनसंख्या जनजातिय वर्ग की है। इस योजना के द्वारा इन लोगों को आर्थिक सहायता एक वरदान के रूप में साबित हुई है।

इन लोगों के लिये आजीविका का मुख्य आधार पशुपालन, कृषि, लघु एवं घरेलु उद्योग है। साथ ही देहाती मजदुरी है।

अधिवास :-

डूंगरपुर जिले के मकान बिखरी हुई आबादी के रूप में विद्यमान है। क्योंकि यहां पर अधिकांश भू-भाग पहाड़ी होने के कारण जनजाति लोगों के मकान पहाड़ी क्षेत्र में ही विद्यमान है। इनके मकान कच्चे केलुपोश एवं

घासफूस एवं झौंपडियों के रूप में विद्यमान है। अतः वर्षाकाल में विषम जलवायु परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा इन लोगों के आवास पक्के मकान बन गये हैं। यहां पर यह योजना इतनी प्रभावशाली सिद्ध हुई है कि लोगों ने इससे मिलने वाली आर्थिक सहायता से दो कमरों के मकान के साथ-साथ छोटी-छोटी दुकानें भी बना दी हैं, जिससे उसकी आजीविका चलती है।

PMAY योजना के प्रमुख लाभ :-

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाभार्थी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे उसके खाते में जमा होती है, जिससे किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रहती है। ग्राम पंचायत स्तर पर इसका क्रियान्वयन पंचायत के द्वारा किया जाता है। तहसील स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला लेवल पर जिला परिषद् के द्वारा संपादित किया जाता है। इस योजना से डूंगरपुर जिले में प्रतिवर्ष 100 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता है।

प्रमुख समस्याएँ :-

1. समय-समय पर लाभार्थी के द्वारा कभी-कभी नहीं कार्य किया जाता है।
2. कभी-कभी लाभार्थी के साथ भ्रष्टाचार किया जाता है।
3. लाभार्थी कभी-कभी उक्त राशि को अन्य कार्य में खर्च कर देता है।

किन्तु यह योजना गरीब किसान वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये एक वरदान साबित हुई है।

डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील :-

1. ग्राम पंचायत डेचा 394
2. ग्राम पंचायत नंदौड 200
3. ग्राम पंचायत ओबरी 133
4. ग्राम पंचायत बिलिया बडगामा 476

मकानों का निर्माण इस योजना के द्वारा किया गया है। इस तरह इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे परिणाम सामने आये हैं और भविष्य में यह योजना प्रभावशाली सिद्ध होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.pmaymis.govt.in
2. प्राथमिक आंकड़े गांव स्तर पर निवासियों के द्वारा।
3. ग्राम पंचायत, सचिव, सरपंच, वार्ड पंच।
4. राजकीय कर्मचारी भंवरलाल परमार।
5. सहायक सचिव ग्राम रामलाल परमार
6. ग्राम पंचायत बेडसा लालूराम ननोमा